

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
 (अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं०

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र० नि०ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022 प्र०इ०रि०सं० १८ / 2022 दिनांक ११-३-२२
  - (I) पी.सी.एक्ट 1988 धाराएँ 13(1)(ई) सहपठित 13(2) एवं पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 धाराएँ 12, 13 (1)(बी) सपठित धारा 13(2)
  - (II) अधिनियम.....धाराएँ -109, 120बी भा.द.सं.
  - (III) अधिनियम.....धाराएँ.....
  - (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएँ.....
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या २२८ समय १.३५ pm  
 (ब) अपराध घटने का दिन.....दिनांक.....समय.....  
 (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक.....समय.....
3. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :-  
 (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब  
 (ब) पता - .....बीट संख्या.....जरायमदेही सं.  
 (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.....  
 पुलिस थाना.....जिला.....
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :-**सूत्र सूचना**  
 (अ) नाम -  
 (ब) पिता/पति का नाम  
 (स) जन्म तिथि/वर्ष.....  
 (द) राष्ट्रीयता.....  
 (य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....  
 जारी होने की जगह.....  
 (र) व्यवसाय.....  
 (ल) पता -
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का व्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
 1. श्री कैलाशचंद बुनकर पुत्र श्री हरिकिशन बुनकर निवासी ई-570, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर हाल प्रबंधक राजस्थान वित्त निगम शाखा किशनगढ़ अजमेर  
 2. श्रीमती कमलेश बुनकर पत्नी श्री कैलाशचंद बुनकर निवासी ई-570 मुरलीपुरा स्कीम जयपुर
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियाँ ( यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या ( अगर हो तो ).....
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएँ) :-

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी श्री कैलाशचंद बुनकर, प्रबंधक राजस्थान वित्त निगम के विरुद्ध सूत्र सूचना पंजीबद्ध कर आरोपित द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों, उसकी आम छवि, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के बारे में गोपनीय रूप से सूचनाएँ संकलित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रदान किये गये थे। उक्त आदेशों की पालना में मन सत्यापनकर्ता ने गोपनीय सूत्र स्थापित कर संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों के बारे

में पूछताछ कर लिखित/अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु ताकीद की गई। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त रिकार्ड/सूचनाएं शामिल जांच किये गये। इसके अलावा सूचना संकलन हेतु सूत्र भी मामूर किये गये। सूत्रों से संदिग्ध अधिकारी के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

संदिग्ध अधिकारी श्री कैलाशचंद बुनकर पुत्र श्री हरिकिशन बुनकर (PAN NUMBER - AAZPB9393A) मूल रूप से बागासियों की मोरी, चौमू जिला जयपुर राज0 के रहने वाले हैं एवं वर्तमान में मकान नं0 ई-570, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर में परिवार सहित निवासरत है। संदिग्ध अधिकारी के पिता कृषि कार्य करते थे जिनकी काफी समय पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है। संदिग्ध अधिकारी 05 भाई है जिनमें से 02 की मृत्यु हो चुकी है शेष तीनों भाई अपने अपने परिवार सहित अलग— अलग निवास करते हैं। संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती बिरमीदेवी संदिग्ध अधिकारी के साथ ही ई-570 में निवास करना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती कमलेश बुनकर के साथ सम्पन्न हुआ है। श्रीमती कमलेश बुनकर (PAN NUMBER - AEQPB5512G) एक सामान्य ग्राहिणी होने के साथ साथ “गोठवाल डवलपर्स ” नामक फर्म का अपने पुत्रों के साथ 50 प्रतिशत हिस्सेदारी में संचालन कर रही है। संदिग्ध अधिकारी के दो पुत्र योगेश एवं मयंक हैं जिन्होने जयपुर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है। संदिग्ध अधिकारी के बड़े पुत्र योगेश का विवाह हो चुका है।

संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति 02.11.1983 मेर राजस्थान वित्त निगम में कनिष्ठ सहायक/टाईपिस्ट के पद पर हुई थी और पदोन्नति लेकर वर्तमान में राजस्थान वित्त निगम के ब्रांच ऑफिस किशनगढ़, अजमेर में प्रबंधक/प्रभारी के रूप में पदस्थापित है। संदिग्ध अधिकारी समय—समय पर राजस्थान वित्त निगम की विभिन्न शाखाओं में पदस्थापित रहा है। गोपनीय सत्यापन से आरोपित अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना ज्ञात हुआ है। **संदिग्ध अधिकारी की दिनांक 31.01.2023 में सेवानिवृत्ति है।** विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान जयपुर जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वयं एवं अपनी पत्नी के नाम से परिसम्पत्तियां क्रय की गई हैं जो राजस्व रिकॉर्ड एवं अचल सम्पति विवरण के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है तथा विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण लोकेशन्स की परिसम्पत्तियों में भी निवेश किया जाना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं तथा अपनी पत्नी श्रीमति कमलेश बुनकर के नाम से विभिन्न व्यवसायिक/आवासीय/कृषि भूमियों में निवेश किया है, जिनमें प्रमुख रूप से चौमू बगवाड़ा तहसील आमेर, गोविन्दपुरा तहसील शाहपुरा, निझर तहसील शाहपुरा, प्रतापपुरा तहसील फुलेरा, मिंडिक्या तहसील फुलेरा, सिंवार तहसील जयपुर, विश्वकर्मा औधोगिक क्षेत्र जयपुर, औधोगिक क्षेत्र कालाडेरा तथा मुरलीपुरा स्कीम जयपुर में व्यवसायिक/आवासीय/कृषि भूमि क्रय कर रखी है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा सम्पत्ति खरीद हेतु पूर्व में जितने भी लोन लिये गये हैं उनको एक—दो वर्ष में ही वापस बैंक में जमा करा कर लोन बंद करा देता है। जिससे स्पष्ट होता है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा राजस्थान वित्त निगम में अपने पदीय कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुए अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की गई है। सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का व्यौरा निम्नलिखित है :—

### 1. ज्ञात स्त्रोतों से वैध आय :—

1. संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पीरियड (1983 से फरवरी 2022) राज्य सेवा में आने से लेकर वर्ष फरवरी 2022 तक वेतन भत्तों आदि से अर्जित वैध अनुमानित आय —	1,36,83,699 /
2. एस.ओ की पत्नी श्रीमती कमलेश बुनकर की आयकर विवरणिका के अनुसार वैध अनुमानित आय —	35,56,066 /
3. ग्राम बगवाड़ा, जयपुर की भूमि को बेचान करने से हुई आय —	16,50,000 /

### कुल वैध आय

1,88,89,765 /

### 2. खर्च :—

1. एस ओ को प्राप्त वेतन भत्तों के अनुसार वैध आय 1,36,83,699/-	
का 1/3 भाग अनुमानित रसोई खर्च :-	45,61,233/-
2. एस ओ के दोनों पुत्रों की शिक्षा पर अनुमानित व्यय -	20,00,000/-
3. चैक पीरियड के दौरान काम में लिये गये वाहनों के ईंधन / रखरखाव / इन्श्योरेन्स पर अनुमानित खर्च -	15,00,000/-
4. एस.ओ. के पुत्र के विवाह में अनुमानित खर्च	35,00,000/-

कुल खर्च - 1,15,61,233/-

कुल वैध आय 1,88,89,765 - 1,15,61,233 = 73,28,532/-

संभावित शुद्ध बचत 73,28,532/-  
अर्जित परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य 6,29,11,014/-

आय से अधिक अर्जित परिसम्पत्तियां ( 6,29,11,014 - 73,28,532 = 5,55,82,482/- )

संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं एवं परिवारजनों के नाम अर्जित परिसम्पत्तियों का विवरण :-

क्र. सं.	सम्पति का विवरण	धारक का नाम	विशेष विवरण
1	प्लॉट नं० ई-570, मुरलीपुरा जयपुर कुल क्षैत्रफल 209.87 वर्ग मीटर दिनांक 14.08.2000	कैलाशचंद्र बुनकर	उक्त आवासीय प्लॉट के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 7,00,000 रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 70,000 रुपये है। उक्त प्लाट कुल क्षैत्रफल 209.87 वर्ग मीटर है जिसमें संदिग्ध अधिकारी परिवार सहित निवास करता है। उक्त प्लॉट पर बेसमेंट सहित तीन मंजिला भवन निर्मित है। जिसके बेसमेंट में श्री हरि ज्वैलर्स नाम का एक ज्वेलरी शौरूम है, ग्राउण्ड फ्लोर को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को किराये से दे रखा है तथा प्रथम तल पर मुथूट फाईनेंस को किराये पर दे रखा है। द्वितीय तल पर संदिग्ध अधिकारी परिवार सहित निवास करता है। उक्त प्लॉट पर वर्ष 2006 में लगभग 6000 वर्ग फिट का निर्माण कार्य किया हुआ है। जिस पर बीएसआर के अनुसार लगभग 6000 x 700= 42,00,000/- रुपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त भवन के पेन्ट, रेलिंग, सीसीटीवी कैमरे एवं साज सज्जा पर 10,00,000/- रुपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार कुल 59,70,000/- रुपये व्यय होने का अनुमान है।
2	प्लॉट नं० सी-19, श्री निवास नगर, रोड नं० 6 के सामने, विश्वकर्मा, सीकर रोड जयपुर, कुल क्षैत्रफल 168.75 वर्ग गज दिनांक 06.04.2016	श्रीमती कमलेश बुनकर एवं योगेश गोठवाल	उक्त आवासीय प्लॉट के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 33,01,000 रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 1,65,050 रुपये है। उक्त मकान वर्तमान में बंद है। संदिग्ध अधिकारी ने उक्त मकान के मुख्य द्वार पर स्वयं के मोबाइल नंबर अंकित किये हुए हैं। वर्तमान में मकान में संदिग्ध अधिकारी का भाई धर्मेन्द्र परिवार सहित रहता है, मकान का कुछ हिस्सा किराये पर भी दिया हुआ

✓

			है। उक्त मकान के पुनर्निर्माण एवं साजसज्जा पर लगभग <b>5,00,000/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल <b>39,66,050/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
3	दुकान नं० सी.एफ.सी.-5, सीएफसी कॉम्पलेक्स, रोड नं० 4, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीकल एरिया, जयपुर कुल क्षेत्रफल - 35.70 वर्ग मीटर दिनांक - 12.02.2016	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त व्यवसायिक दुकान के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 30,00,000 / रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 1,29,300 रुपये है। उक्त दुकान वर्तमान में बंद है। इस प्रकार कुल <b>31,29,300/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
4	दुकान नं० सी.एफ.सी.-7, रोड नं० 4, सीएफसी कॉम्पलेक्स विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीकल एरिया, जयपुर कुल क्षेत्रफल - 27.11 वर्ग मीटर दिनांक - 05.04.2003	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त व्यवसायिक दुकान के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 3,01,000 / रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 28,500 रुपये है। उक्त दुकान वर्तमान में बंद है। इस प्रकार कुल <b>3,29,500/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
5	ग्राम सिंवार तहसील जयपुर में खसरा न० 266 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा दिनांक 16.06.2015	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 2,21,00,000 / रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 9,50,600 रुपये है। उक्त कृषि भूमि पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा सङ्क की तरफ लगभग 03 फीट उंचाई का एवं शेष तीनों ओर लगभग 02 फीट उंचाई पत्थर की दीवार एवं लगभग 100 वर्ग फिट क्षेत्रफल के एक कमरे का निर्माण करवा रखा है तथा उक्त कृषि भूमि में प्रवेश के लिये लगभग 15 फिट का लोहे का गेट लगवा रखा है। उक्त निर्माण पर लगभग <b>6,00,000/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल <b>2,36,50,600/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
6	कस्बा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नं० 3680 रकब 0.16 हैक्टेयर, 3682 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 3685 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 3683 / 7705 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 3684 / 7706 रकबा 0.02 रकबा कुल किता 5 रकबा 0.67 हैक्टेयर में से 1 / 10 वा हिस्सा दिनांक 10.12.2002	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 54,500 / रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 6,000 रुपये है। उक्त कृषि भूमि पर वर्तमान में माली परिवार द्वारा कृषि कार्य किया जाना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार कुल <b>60,500/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।

7	कस्बा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नं० 3680 रकबा 0.16 हैकटेयर, 3682 रकबा 0.33 हैकटेयर, 3685 रकबा 0.10 हैकटेयर, 3683 / 7705 रकबा 0.06 हैकटेयर, 3684 / 7706 रकबा 0.02 रकबा कुल किता 5 रकबा 0.67 हैकटेयर में से 1 / 10 वा हिस्सा दिनांक 16.12.2002	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 54,500 / रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 6,000 रुपये है। उक्त कृषि भूमि पर वर्तमान में माली परिवार द्वारा कृषि कार्य किया जाना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार कुल <b>60,500/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
8	ग्राम बगवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नं० 1914 / 2 रकबा 0.24 हैकटेयर संपूर्ण, खसरा नं० 1914 / 9 रकबा 0.24 हैकटेयर संपूर्ण हिस्सा, एवं 1914 / 3 रकबा 0.08 हैकटेयर का 2 / 15 हिस्सा रास्ता उपयोग हेतु दिनांक 23.03.2013	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 26,32,976 / रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 1,05,320 रुपये है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में बंजर पड़ी है। इस प्रकार कुल <b>27,38,296/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
9	ग्राम बगवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नं० 1914 / 1 रकबा 0.24 हैकटेयर, 1914 / 5 रकबा 0.49 हैकटेयर, 1914 / 6 रकबा 0.49 हैकटेयर कुल कीता 3 रकबा 1.21 हैकटेयर, खसरा नं० 1914 / 3 रकबा 0.08 हैकटेयर का 1 / 3 हिस्सा, खसरा नं० 1914 / 8 रकबा 0.49 हैकटेयर में से 0.25 हैकटेयर दिनांक 23.03.2013	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 38,87,529 / रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 1,55,510 रुपये है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में बंजर पड़ी है। इस प्रकार कुल <b>40,43,039/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
10	ग्राम गोविन्दपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर खसरा नं० 1321 रकबा 1.24 हैकटेयर दिनांक 31.07.2007	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 5,10,120 / रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 37,770 रुपये है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में बंजर पड़ी है। इस प्रकार कुल <b>5,47,890/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
11	खसरा नं० 1340 रकबा 1.25 हैकटेयर ग्राम नीझर,	श्रीमती कमलेश	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 6,00,000 / रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प

	तहसील शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक 30.07.2007	बुनकर	झ्यूटी 35,500 रुपये है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में बंजर पड़ी है। इस प्रकार कुल 6,35,500/- रुपये व्यय होने का अनुमान है।
12	खसरा नं० 1424 रकबा 0. 3 हैक्टेयर, 1425 रकबा 2 है०, कुल खसरा 02 रकबा 2.3 हैक्टेयर भूमि ग्राम नीझर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक - 23.05.2007	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 11,04,000/- रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प झ्यूटी 65,240 रुपये है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में बंजर पड़ी है। इस प्रकार कुल 11,69,240/- रुपये व्यय होने का अनुमान है।
13	खसरा नं० 372 रकबा 0. 28 हैक्टेयर, खसरा नं० 375 रकबा 0.42 हैक्टेयर, कुल खसरा 02 रकबा 0. 70 हैक्टेयर ग्राम आसपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक - 23.05. 2007	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 4,20,000/- रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प झ्यूटी 24,700 रुपये है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में बंजर पड़ी है। इस प्रकार कुल 4,44,700/- रुपये व्यय होने का अनुमान है।
14	खसरा नं० 118 / 1781 / 1989 रकबा 1 हैक्टेयर, खसरा नं० 118 / 1781 / 1988 रकबा 1 हैक्टेयर कुल कीता 2 रकबा 2 हैक्टेयर ग्राम बूचारा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर दिनांक 11.11.2008	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 9,20,000/- रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प झ्यूटी 46,000 रुपये है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में बंजर पड़ी है। इस प्रकार कुल 9,66,000/- रुपये व्यय होने का अनुमान है।
15	गांव प्रतापपुरा पटवार हल्का जोरपुरा जोबनेर तहसील फूलेरा जयपुर में खसरा न. 95 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा बारानी-3, खसरा न. 97 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा बारानी 2, खसरा न. 132 रकबा 19 बिस्वा बारानी 2, खसरा न. 133 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा बारानी 02 कुलकिता 04 कुल रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा दिनांक 12.09.2006	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 1,61,040/- रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प झ्यूटी 7,100 रुपये है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 1,68,140/- रुपये व्यय होने का अनुमान है।
16	गांव मिंडिक्या पटवार क्षेत्र श्यामी की ढाणी तहसील फूलेरा जयपुर में आराजी खसरा न. 171 रकबा 24	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 3,13,845/- रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प झ्यूटी 12,560 रुपये है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार

	बीघा 05 बिस्वा बारानी 02, खसरा न. 193 रकबा 02 बीघा बारानी 02, खसरा न. 195 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा बारानी 02, खसरा न. 196 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा बारानी 02, खसरा न. 197 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा बारानी 02, खसरा न. 198 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा बारानी 02, खसरा न. 253 रकबा 05 बीघा बारानी 02, खसरा न. 254 रकबा 03 बीघा बारानी 02, खसरा न. 255 / 2 रकबा 07 बीघा बारानी 02, खसरा न. 258 रकबा 36 बीघा 02 बिस्वा बारानी 02 कुल किता 10 कुल रकबा 95 बीघा 06 बिस्वा का 01 / 12 हिस्सा का 1260 / 1906 हिस्सा अर्थात् कुल आराजीयात् का 105 / 1906 हिस्सा दिनांक 30.05.2013	कुल 3,26,405/- रुपये व्यय होने का अनुमान है।	
17	गांव मिंडिक्या पटवार क्षेत्र श्यामी की ढाणी तहसील फूलेरा जयपुर में आराजी खसरा न. 171 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा बारानी 02, खसरा न. 193 रकबा 02 बीघा बारानी 02, खसरा न. 195 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा बारानी 02, खसरा न. 196 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा बारानी 02, खसरा न. 197 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा बारानी 02, खसरा न. 198 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा बारानी 02, खसरा न. 253 रकबा 05 बीघा बारानी 02, खसरा न. 254 रकबा 03 बीघा	श्रीमती कमलेश बुनकर	उक्त कृषि भूमि के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 4,74,653/- रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 18,990 रुपये है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 4,93,643/- रुपये व्यय होने का अनुमान है।

	बारानी 02, खसरा न. 255 / 2 रकबा 07 बीघा बारानी 02, खसरा न. 258 रकबा 36 बीघा 02 बिस्वा बारानी 02 कुल किता 10 कुल रकबा 95 बीघा 06 बिस्वा का 01 / 12 हिस्सा दिनांक 30.05.2013		
18	प्लॉट नं. 40 / 155 का ग्राउण्ड फ्लोर का प्लैट क्षेत्रफल 103.53 वर्ग मीटर दिनांक 28.07.2006	श्रीमती कमलेश बुनकर (गोठवाल डवलपर्स)	उक्त प्लॉट के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 5,15,761/- रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 33,530 रुपये है। उक्त आवासीय प्लैट गोठवाल डवलपर्स के नाम से क्रय किया गया है जिसमें संदिग्ध अधिकारी की पत्नी 50 प्रतिशत की भागीदार होना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार कुल <b>2,74,645/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
19	औद्योगिक भूखण्ड संख्या जी-1 / 232, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा जयपुर कुल क्षेत्रफल 1004 वर्गमीटर दिनांक 25.01.2022	श्रीमती कमलेश बुनकर व श्री योगेश गोठवाल	उक्त औद्योगिक भूखण्ड के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 91,35,700/- रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 8,04,241 रुपये है। उक्त औद्योगिक भूखण्ड खरीद के पश्चात संदिग्ध अधिकारी द्वारा गुलाब कम्प्यूटराईज्ड धर्मकांटा क्षमता 100 टन के नाम से स्थापित किया गया है। जिसमें अनुमानित <b>15,00,000/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है। जिसमें संदिग्ध अधिकारी की पत्नी 50 प्रतिशत की भागीदार होना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार कुल <b>64,69,970/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
20	वाहन संख्या आर.जे. 14 सी.डब्ल्यू 6151 इको स्पोर्ट फोर्ड वर्ष 2014	श्री कैलाशचंद बुनकर	उक्त वाहन संदिग्ध अधिकारी ने स्वयं के नाम वर्ष 2014 में खरीद किया जिसमें लगभग <b>10,00,000/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
21	एस.बी.आई. खाता संख्या 10040677650	कैलाशचंद बुनकर	दिनांक 06.01.2022 को <b>3834/-</b> रुपये शेष
22	एस.बी.आई. खाता संख्या 61007536143	कमलेश बुनकर	दिनांक 13.07.2021 को <b>3307/-</b> रुपये शेष
23	एस.बी.आई. खाता संख्या 32374474127	श्रीमती कमलेश बुनकर	दिनांक 06.01.2022 को <b>10,976/-</b> रुपये शेष
24	एस.बी.आई. लोन खाता संख्या 30734330827	कैलाशचंद बुनकर व कमलेश बुनकर	उक्त लोन खाता है जो वर्तमान में बंद हो चुका है। उक्त खाते में ब्याज के रूप में <b>5,86,463/-</b> रुपये का व्यय किये जाने का अनुमान है।
25	एस.बी.आई. लोन खाता संख्या 30285523704	कैलाशचंद बुनकर	उक्त लोन खाता है जो वर्तमान में बंद हो चुका है। उक्त खाते में ब्याज के रूप में <b>83,523/-</b> रुपये का व्यय किये जाने का अनुमान है।

26	एस.बी.आई. लोन खाता संख्या 10040719115	कैलाशचंद्र बुनकर	उक्त लोन खाता है जो वर्तमान में बंद हो चुका है। उक्त खाते में ब्याज के रूप में <b>2,92,448/-</b> रुपये का व्यय किये जाने का अनुमान है।
27	एस.बी.आई. कार लोन खाता संख्या 33885947709	कैलाशचंद्र बुनकर	उक्त लोन खाता है जो वर्तमान में बंद हो चुका है। उक्त खाते में ब्याज के रूप में <b>3,66,726/-</b> रुपये का व्यय किये जाने का अनुमान है।
28	सीबीआई खाता संख्या 2245740011	कैलाशचंद्र बुनकर	दिनांक 04.01.2022 को <b>4000/-</b> रुपये शेष
29	सीबीआई पीपीएफ खाता संख्या 3382075571	कैलाशचंद्र बुनकर	दिनांक 04.01.2022 को <b>825/-</b> रुपये शेष
30	सीबीआई एफ.डी.आर. खाता संख्या 3740849121	कैलाशचंद्र बुनकर	दिनांक 04.01.2022 को <b>50,000/-</b> रुपये शेष
31	सीबीआई लोन खाता संख्या 3325873704	कैलाशचंद्र बुनकर	उक्त लोन खाता वर्तमान में बंद हो चुका है। उक्त खाते में ब्याज के रूप में <b>10,59,073/-</b> रुपये का व्यय किये जाने का अनुमान है।
32	सीबीआई पीपीएफ खाता संख्या 3382316406	श्रीमती कमलेश बुनकर	दिनांक 04.01.2022 को <b>825/-</b> रुपये शेष
33	सीबीआई खाता संख्या 3388671782	श्रीमती कमलेश बुनकर	दिनांक 04.01.2022 को <b>4142/-</b> रुपये शेष
34	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लोन खाता सं LBJAI00002414679	कैलाशचंद्र बुनकर	उक्त लोन खाता वर्तमान में बंद हो चुका है। उक्त खाते में ब्याज के रूप में <b>7,93,801/-</b> रुपये का व्यय किये जाने का अनुमान है।
35	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लोन खाता सं LBJAI00002414678	कैलाशचंद्र बुनकर	उक्त लोन खाता वर्तमान में बंद हो चुका है। उक्त खाते में ब्याज के रूप में <b>12,45,634/-</b> रुपये का व्यय किये जाने का अनुमान है।
36	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लोन खाता सं LBJAI00001916328	कैलाशचंद्र बुनकर	उक्त लोन खाता वर्तमान में बंद हो चुका है। उक्त खाते में ब्याज के रूप में <b>6,09,415/-</b> रुपये का व्यय किये जाने का अनुमान है।
37	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लोन खाता सं LBJAI00001916327	कैलाशचंद्र बुनकर	उक्त लोन खाता वर्तमान में बंद हो चुका है। उक्त खाते में ब्याज के रूप में <b>4,91,644/-</b> रुपये का व्यय किये जाने का अनुमान है।
38	आई.सी.आई.सी.आई बैंक लोन खाता सं LUJAI00013635896	कमलेश बुनकर	उक्त लोन खाता वर्तमान में बंद हो चुका है। उक्त खाते में ब्याज के रूप में <b>23,650/-</b> रुपये का व्यय किये जाने का अनुमान है।
39	एल.आई.सी. पॉलिसी नं० 197235546	कमलेश बुनकर	उक्त एल.आई.सी. पर दिनांक 28.04.2008 से 41,365/- रु. प्रतिवर्ष प्रिमियम के अनुसार 14 वर्ष तक कुल प्रिमियम <b>5,79,110/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
40	एल.आई.सी. पॉलिसी नं० 194330415	कमलेश बुनकर	उक्त एल.आई.सी. पर दिनांक 28.05.2002 से 12,885/- रु. प्रतिवर्ष प्रिमियम के अनुसार 20 वर्ष तक कुल प्रिमियम <b>2,57,700/-</b> रुपये व्यय होने का अनुमान है।
	परिसम्पत्तियों पर कुल व्यय		<b>6,29,11,014</b>



संदिग्ध अधिकारी श्री कैलाशचंद बुनकर, प्रबंधक राजस्थान वित्त निगम, ब्रांच किशनगढ़ अजमेर द्वारा राजकीय सेवाकाल में वेतन भत्तों से अर्जित एवं पत्नी श्रीमती कमलेश बुनकर की शुद्ध अनुमानित बचत 73,28,532/- रूपये पायी गयी है। संदिग्ध अधिकारी एवं उसकी पत्नी द्वारा इस अवधि में अर्जित चल अचल सम्पत्तियों का कुल मुल्य 6,29,11,014/- में से शुद्ध बचत घटाने पर  $6,29,11,014 - 73,28,532 = 5,55,82,482$  रूपये अक्षरे (पांच करोड़ पचपन लाख बयासी हजार चार सौ बयासी रूपये) की चल —अचल परिसम्पत्तियां वैध घोषित आय से आनुपातिक रूप से अधिक अर्जित करना पाया गया है जो 758 प्रतिशत अधिक है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री कैलाशचंद बुनकर, प्रबंधक राजस्थान वित्त निगम, ब्रांच किशनगढ़ जिला अजमेर व उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश बुनकर के विरुद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एकट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एकट (संशोधित) 2018 एवं 109, 120वी भा.दं.सं के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नंबरी एफ.आई.आर. क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

भवदीय

पुलिस उप अधीक्षक,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
राज. जयपुर

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एकट 1988 एवं 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एकट (संशोधित) 2018 एवं 109, 120बी भा.द.सं. में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त श्री कैलाशचंद बुनकर, प्रबंधक, राजस्थान वित्त निगम, ब्रांच किशनगढ़ जिला अजमेर एवं 2. श्रीमती कमलेश बुनकर पत्नी श्री कैलाशचंद बुनकर निवासी ई-570, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर एवं अन्य के विरुद्ध अपराध संख्या ४४ /2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर तफीश श्रीमती वंदना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर के सुपुर्द की गई ।

11.03.22  
पुलिस अधीक्षक—प्रशासन  
भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो  
राज0 जयपुर ।

क्रमांक :- ७८५-९०

दिनांक :- ११-३-२२

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, जयपुर
2. श्रीमान शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर
4. श्रीमान प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान जयपुर
5. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, प्रथम जयपुर
6. श्रीमती वंदना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर

11.03.22  
पुलिस अधीक्षक—प्रशासन  
भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो  
राज0 जयपुर